



ल.अं./50/एसएलबीसी/ ८१

दिनांक : 14.05.2024

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) के सदस्य बैंकों को पत्र

महोदय,

विषय:- पी० एम० सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

जैसा की आप अवगत है पी० एम० सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है एवं योजना के सफल संचालन हेतु एक पोर्टल का भी संचालन किया जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.05.2024 को वर्चुअल माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें उन्होंने योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को बैंकों द्वारा सुलभ ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु निर्देशित किया था।

बैठक के दौरान निदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) ने बैंकों को ऋण वितरण के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की :-

1. योजना के अंतर्गत वेंडर पंजीकरण का कार्य यूपीनेडा द्वारा किया जा रहा है। जिनकी सूची पी० एम० सूर्य घर पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। बैंकों द्वारा पंजीकृत वेंडर के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही ऋण प्रदान किया जाएगा।
2. योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं के ऋण आवेदन ऑफ लाइन माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं परंतु ऋण वितरण से पूर्व पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
3. संयंत्रों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट निर्गत करने का कार्य डिस्काम द्वारा किया जाता है। अतः लोन प्रक्रिया में प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिए जाने की आवश्यकता नहीं है।
4. 1 से 3 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्रों हेतु ऋण स्वीकृति में उपभोक्ताओं से न्यूनतम दस्तावेज प्राप्त किए जाये यथा-परिचय पत्र, निवास पत्र, बिजली का बिल इत्यादि। पैन कार्ड की अनिवार्यता न हो।

उपरोक्त आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीप

(समीर रंजन पंडा)

महाप्रबंधक एवं संयोजक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०)

Q